

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-94 / 16
संस्थापित दिनांक-22.03.2016
Filing no. 235103000492016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
1-शिवम पुत्र विशम्भर दयाल बवेले, आयु-20 वर्ष, निवासी कागदीपुरा, शंकर मंदिर गली थाना चन्देरी जिला-अशोकनगर।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री सिराज पठान अधिवक्ता।

:- निर्णय :-
(आज दिनांक 09.01.2018 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 190 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 20.02.2016 को समय करीब 20:00 बजे थाना चंदेरी से उत्तर पश्चिम एक कि.मी. में स्थित दिल्ली दरवाजा चंदेरी में टयूब बैल के पास लोक स्थान पर फरियादी नरेन्द्र सिंह को लोकस्थान पर मां-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को लोक सेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी।

02- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी एवं फरियादी का भा.द.वि. की धारा 294 एवं 323 में आपसी राजीनामा होने से आरोपी को भा.द.वि. की धारा 294 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भा.द.वि. की धारा 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नरेन्द्र अपनी मम्मी रामरती के साथ आकर थाना चंदेरी में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह वह तथा प्रहलाद सोनी, साहित मुसलमान दिल्ली दरवाजा टयूब बैल के पास नीम के पेड के नीचे बैठे थे तो आज दिनांक 20.02.16 रात करीब आठ बजे शिवम बवेले शंकर मंदिर के पास चंदेरी का आया और उसे मां बहन की बुरी-बुरी गाली देते हुये कहा कि तू मुझे गाली दे रहा था तो उसने कहा कि महाराज मै तुम्हे गाली क्यों दूंगा तो वह मुझे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा तथा उसने गाली देने से मना कि सोई वह चंखारी (पत्थर) उठाकर फेंककर मारी जो उसके बांये आंख के उपर भौंह में लगी तथा चोट होकर खून निकलने लगा और दौबारा फिर पत्थर मारने को हुआ तब साहिब मुसलमान व प्रहलाद व इमरत ने बीच बचाव किया तथा शिवम बवेले ने धमकी दी कि उसके खिलाफ रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 92/16 में भा.द.वि. की धारा 294, 323 एवं 506 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में विचाराणार्थ प्रस्तुत किया गया।

04— अभियुक्त ने निर्णय के पैरा 01 में वर्णित अपराध करना अस्वीकार किया तथा प्रतिरक्षा चाही। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य एवं परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :—

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.02.2016 को समय करीब 20:00 बजे थाना चंदेरी से उत्तर पश्चिम एक कि.मी. में स्थित दिल्ली दरवाजा चंदेरी में ट्यूब बेल के पास लोक स्थान पर फरियादी नरेन्द्र को लोक सेवा के संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जाने से मारने की धमकी दी ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। अभियोजन साक्षी नरेन्द्र (अ.सा.-01) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी शिवम बवेले को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 9-10 माह पहले की होकर रात करीब आठ बजे की है। घटना के समय वह शंकर मंदिर के पास चंदेरी आया हुआ था वहीं पर उसे शिवम बवेले मिला और उससे गाली गलौच करने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो शिवम ने पत्थर उठाकर मार दिया था जो उसकी बांयी आंख के उपर भौंह में लग गया था जिससे उसे मामूली चोटें आ गयी थी। जिसके संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख करायी थी जो प्रपी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आयी और घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया था जो प्रपी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का ईलाज कराया था और पूछताछ कर उसके बयान लिये।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी दुबारा पत्थर मारने को हुआ तब साहिब, प्रहलाद व इमरत कुशवाह ने बीच बचाव किया था। इस बात से भी इंकार किया है कि शिवम बवेले ने धमकी दी थी कि उसके खिलाफ रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्रपी-1 एवं पुलिस कथन प्रपी-3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि उक्त रिपोर्ट व कथन पुलिस का न देना व्यक्त किया। पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। फरियादी नरेन्द्र ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी घौंस दबाव के राजीनामा हो गया है, इस बात से भी इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

08— नरेन्द्र (अ.सा.-01) जो कि प्रकरण में स्वयं फरियादी है ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने जाने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी थी।

09— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा फरियादी नरेन्द्र को लोक सेवा के संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जाने से मारने की धमकी दी, अतः अभियुक्त शिवम को भा.द.वि. की धारा 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0